(3) इलेक्ट्रानिक मेल ।

(4) वीडियो टेक्स

(5) वायस मेल

(6) वीडियो कान्फ्रेंसिंग

(7) मार्निंग अलार्म सेवा

(8) डायरेक्टरी पूछताछ

(9) आडियो कान्फ्रेंसिंग

(10) आडियोटेक्स

(11) डायरेक्ट आटोमैटिक कोड डायलिंग

(घ) जी हां, समिति की सिफारिशें स्वीकार करते समय सरकार ने अब विकय अधिकार के आधार पर सभी मूल्य वर्धित सेवाओं के संचालन का प्रस्ताव किया है। चार महानगरों के लिए सेल्यूलर मोबाइल रेडियो के चुने गए निविदाकर्त्ताओं की सूची की घोषणा कर दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश की टेलीफोन सलाहकार समिति में सदस्यों का नामांकन

2753. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की टेलीफोन सलाहकार समितियों में सदस्यों का नामांकन करने के लिए क्या मानदण्ड है ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की टेलीफोन सलाहकार समिति में सदस्यों का नामांकन किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई सूची भेजी थी ;

(ग) यदि हां, तो उस सूची के अनुसार के अनुसार उनके मंत्रालय ने इस समिति के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु कितने व्यक्तियों के नामों को स्वीकार किया है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई उपर्युक्त सूची को अधिमान नहीं दिया है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगया नायडू) : (क) सामान्यत: टेलीफोन सलाहकार समितियों में सदस्यों का नामांकन विभिन्न श्रेणियों में सीधे प्राप्त अन्य सिफारिशों के साथ-साथ संबंधित दूरसंचार सर्किलों, जिलों के अध्यक्षों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधाएं

2754. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1994 के अन्त तक देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है ;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में जिला-वार अब तक कितनी पंचायतों को यह सुविधा प्रदान की जा चुकी है और वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन पंचायतों को इस योजना के अधीन लाया जायेगा;

(ग) क्या इस योजना के अधीन पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उस स्थान/पंचायत केन्द्र आदि का चुनाव कराने के लिए जहां टेलीफोन लगाना है, कोई मानदण्ड बनाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, हां । लेकिन मार्च, 1995 तक । (1994 के अंत तक नहीं) ।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं । **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) जी हां । टेलीफोन पंचायत ग्रामों में वहां के किसी भी (क) डाकघर (ख) पंचायत घर ; और (ग) पंसारी की दुकान अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लगाए जाते हैं, जहां जनता आसानी से पहुंच सके ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में जिन ग्राम पंचायतों को अब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है और जिन ग्राम पंचायतों को वर्ष 1992–93 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है उसकी जिलेवार संख्या ।

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या जहां 31-3-92 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है ।	ग्राम पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 1992–93 के दौर में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है ।
1	बिलासपुर	57	9
2	चम्बा	45	5
3	हमीरपुर	135	7
4	किन्नौर	3	3
5	कांगड़ा	344	38
6	कुल्लू	38	11
7	लाहुल-स्पीती	2	शून्य
8	मंग्रीड	99	29
9	शिमला	129	37
10	सोलन	110	3
11	सिरमौर	51	37
12	ऊना	117	21
		1130	200

Need to implement recommendations on telephone billing

2755. SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI JAGIR SINGH DARD;
DR. ABRAR AHMED;
SHRIMATI RATAN KUMARI;
SHRI RAMDAS AGARWAL;

Will the Minister of COMMUNICATIONS be plaesed to state-

(a) whether the Social Audit Panel on telecom and postal services has recommended certain changes in telephone billing to provide relief to the subscribers;

(b) if so, the details of the recommendations made by the panel;

(c) whether Government have since examined these recommendation and if so. the steps Government propose to take to implement them; and